प्रेस विज्ञप्ति
24.03.2026

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), रांची ज़ोनल कार्यालय ने 24/03/2026 को धन-शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 की धारा 44 सपठित धारा 45 के तहत, माननीय विशेष न्यायाधीश, सीबीआई-सह-विशेष न्यायाधीश (पीएमएलए), रांची के समक्ष छह आरोपियों — सुनील कुमार (तत्कालीन एग्जीक्यूटिव, केवीआईसी, रांची), अमन कुमार, साहिल, सुश्री प्रिया, बिनोद कुमार बैठा (तत्कालीन वरिष्ठ एग्जीक्यूटिव प्रशासन और एचआर, केवीआईसी, रांची), और बांकू निषाद — के विरुद्ध धन-शोधन का अपराध करने के लिए एक अभियोजन शिकायत (पीसी) दायर की है।

ईडी ने सीबीआई की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा (एसीबी), रांची द्वारा दर्ज एफआईआर व आरोपित के विरुद्ध आईपीसी, 1860 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के तहत आपराधिक साज़िश, धोखाधड़ी, जालसाज़ी और आपराधिक कदाचार के अपराधों के लिए दायर आरोप-पत्र के आधार पर जांच शुरू की। यह मूल अपराध केवीआईसी के रांची स्थित राज्य कार्यालय में सरकारी धन के सुनियोजित गबन से जुड़ा है। इसमें सुनील कुमार ने अपने रिश्तेदारों और सह-आरोपियों के साथ मिलकर साज़िश रची और कुछ फ़र्ज़ी संस्थाएँ बनाईं—जिनमें एक ऐसी 'शेल कंपनी' भी शामिल थी जो जाली सीआईएन के तहत काम कर रही थी। इसके बाद, उन्होंने 'खादी सुधार और विकास कार्यक्रम' (केआरडीपी) के तहत मंज़ूर किए गए लगभग 3.89 करोड़ रुपये के धन को, बिना कोई वास्तविक काम किए ही, अपने रिश्तेदारों के निजी बैंक खातों में अंतरित कर दिया। सह-आरोपित रिश्तेदारों ने अपनी बैंकिंग जानकारी सौंप दी और कोरे चेक पर हस्ताक्षर किए, जिसके ज़रिए उन्होंने जान-बूझकर प्रॉक्सी खातों के जाल के माध्यम से अपराध से अर्जित आय को हासिल करने, अपने कब्ज़े में रखने और उसकी लेयरिंग करने में मदद की।

ईडी की जाँच में यह साबित हुआ कि अपराध से अर्जित आय को कमर्शियल वेंडर्स को भुगतान करके कई चरणों में घुमाया गया, और बाद में इसे सुनील कुमार की पत्नी के नाम पर ओरमांझी, राँची में खरीदी गई अचल संपत्तियों में लगा दिया गया; इस दौरान, पंजीकृत डीड के दस्तावेज़ों में जान-बूझकर व्यवस्थित रूप से कम कीमत दिखाकर, बिक्री की असली कीमत को छिपाया गया। जाँच के दौरान, 20.03.2025 को पीएमएलए, 2002 की धारा 17 के तहत सुनील कुमार के घर पर तलाशी अभियान चलाया गया। ईडी ने 23.04.2025 के पीएओ के ज़रिए लगभग 71.91 लाख रुपये की अचल और चल संपत्तियों को अनंतिम रूप से कुर्क कर लिया, जिसे बाद में माननीय न्याय-निर्णयन प्राधिकरण ने भी मंज़ूरी दे दी। इसके अलावा, अपराध से अर्जित आय में से आश्रम कल्याण निधि न्यास ट्रस्ट, रांची को अंतिरत किए गए 31.11 लाख रुपये ट्रस्ट ने अपनी मर्ज़ी से लौटा दिए और ईडी के पास जमा करा दिए।

यह मामला माननीय विशेष न्यायालय के समक्ष विचारण हेतु लंबित है। आगे की जाँच प्रगति पर है।